

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ राज.
दिनांक:- / / 2016

क्रमांक:- भू.अ. / 2016 /

प्रेषिति,

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
चित्तौडगढ

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी / प्रार्थीयान श्री गोपी लाल अहिर पिता रामा नि.
पुरोहित का साकत प.ह. पुरोहित का साकत के राजस्व ग्राम पुरोहित का साकत में जमाबन्दी संवत् 2078
की खाता संख्या 507 में जाति / नाम दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.
सम्मानजनक जाति / नाम राम लाल अहिर किये जाने की रिपोर्ट की है।
सम्मानजनक जाति / नाम राम लाल अहिर का अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जाना
उचित है। दोनों जातियां (पूर्व एवं वर्तमान संशोधन से संबंधित जाति) अनुसूचित जाति
श्रेणी के ही अन्तर्गत आती है / दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है।
जाति संशोधन की स्थिति में राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42
(बी) का उल्लंघन भी नहीं होता है। अतः संशोधन किया जाना उचित है।

तहसीलदार चित्तौडगढ

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ राज.

क्रमांक:- सीडर / 2016 /

दिनांक:- / / 2016

निमित्त,

पटवार हल्का सुम्बाडिया

विषय:- सम्मानजनक जाति / नाम दर्ज करने बाबत।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 136

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी / प्रार्थीयान के अनुसार श्री गोपी लाल पिता राम लाल अहिर
राजस्व ग्राम पुरोहित का साकत प.ह. पुरोहित का साकत की खाता संख्या 507 में
जाति / नाम रामा दर्ज है। जिसे सम्मानजनक करने हेतु रिपोर्ट जांच व
पहचान प.ह. व भू.अ.नि. द्वारा की गई है। तहसीलदार चित्तौडगढ द्वारा भी जाति / नाम
सम्मानजनक किये जाने की अनुशाषा प्राप्त हुई है।

अतः प्रार्थी / प्रार्थीयान श्री गोपी लाल पिता राम लाल की
जाति / नाम राम लाल अहिर एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत संशोधित दर्ज
करने की स्वीकृत एल.आर. द्वारा दी जाती है। प.ह. सुम्बाडिया राजस्व रिकार्ड में
उपरोक्तानुसार अभिल की पालना पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ

प्रतिलिपि:- तहसीलदार चित्तौडगढ पालना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ

667

2016